



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- राजोता
पटवार हल्का :- राजोता
भू.अभि.नि. :- राजोता
तहसील :- खेतड़ी
जिला :- झुंझुनू

अंतिम चौसाला आधार सम्बत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) मे म्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर
खाता संख्या नया :- 67
खाता संख्या पुराना :- 90

काश्तकार का नाम:-

1. खेतड़ी विकास समिति हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
221	0.7100	बारानी 3	0.7100		स्वीकृत नामांतरकरण : 405 11/04/2019 विरासत	
222	0.3300	बारानी 3	0.3300		स्वीकृत नामांतरकरण : 410 05/08/2019 विरासत	
223	0.0200	बारानी 3	0.0200		स्वीकृत नामांतरकरण : 418 20/02/2021 विरासत	
224	0.3800	बारानी 3	0.3800		स्वीकृत नामांतरकरण : 419 22/03/2021 हकत्याग	
225	0.9000	गै.मु.कुँआ	0.0100		स्वीकृत नामांतरकरण : 423 14/09/2021 न्याया. आदेश	
		बारानी 3	0.8900		स्वीकृत नामांतरकरण : 425 16/11/2021 न्याया. आदेश	
226	0.0600	बारानी 3	0.0600		स्वीकृत नामांतरकरण : 428 15/12/2021 रहनमुक्त	
227	1.0000	बारानी 3	1.0000		स्वीकृत नामांतरकरण : 432 21/02/2022 विरासत	
					स्वीकृत नामांतरकरण : 434 21/03/2022 विरासत	
					स्वीकृत नामांतरकरण : 442 05/01/2023 विरासत	
					स्वीकृत नामांतरकरण : 443 21/01/2023 हकत्याग	

कुल खसरे - 7 3.4000 3.4000

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 20-Dec-2023



P-35
3014
L67
(सिंचाई विभाग)
राजोता
20/12/23

समाधान प्रकरण

कार्यालय: तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज0)

क्रमांक: ३०७७/१७/५१२

दिनांक: २०-५-२०१७

गैर गार प्रमाण --पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि खेतड़ी विकास समिति, खेतड़ी को राजस्थान सरकार द्वारा खसरा नं. 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 कुल किता 7 कुल रकबा 3.40 हैक्टर भूमि का आवंटन ग्राम राजोता तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज0) में किया गया है।

यह उपरोक्त आवंटित भूमि समस्त प्रकार के वयभार से मुक्त है। उपरोक्त भूमि महाविद्यालय, कॉलेजों (शिक्षण संस्थाओं) के संचालन में ही उपयोग की जा रही है।

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक २०-५-२०१७ को मेरे कार्यालय से जारी किया गया है।



तहसीलदार खेतड़ी

कार्यालय तहसीलदार § राजस्व § खेतडी जिला झुंझुनू राजस्थान
=====

क्रमांक/भू.अ./05/2471

दिनांक 30-7-2005

प्रमाण पत्र

खेतडी विकास समिति खेतडी ग्राम राजोता तहसील खेतडी के आवेदन पत्र पर एवं मुताबिक राजस्व रिकार्ड के यह प्रमाणित किया जाता है कि पत्र क्रमांक प.06§145§राज/3/86 दिनांक 26.9.86 एवं जिलाधीश के पत्र क्रमांक रफ.12 §3§44§राज/86/2575-76 दिनांक 16.10.86 के अन्तर्गत खेतडी विकास समिति को 30.07.05 को बिस्वा भूमि ग्राम राजोता तहसील खेतडी में आवंटित की गई है भूमि का विवरण इस प्रकार है -

क्र.सं.	खसरा नंबर	रकबा §बीधा§	बिस्वा
1.	563	0	13
2.	564	4	13
3.	578/1	15	03
4.	582/2	13	00
5.	583	0	02
6.	584	1	05
7.	585	1	12
8.	586	2	04
कुल	0	38	12

वर्तमान राजस्व रिकार्ड /जमाबन्दी वाके मौजा राजोता सम्मत 2060-2063से उक्त भूमि इस प्रकार से दर्ज है ख.नं. 221 रकबा 0.7100है0 बारानी 3, ख.नं. 222 रकबा 0.3300 बारानी 3, 223 रकबा 0.9000 बारानी 3, 224 रकबा 0.3800, 225 रकबा 0.9000, 226 रकबा 0.0600बा.3, 227 रकबा 1.0000बा.3, किता 7 रकबा 3.4000 बा.3 किष्म बारानी 3. 3900 गै.कुआ. 0.100

यह [redacted] भूमि § ग्राम राजोता § तहसील खेतडी में विनोदनी महाविधालय के अलावा खेतडी विकास समिति द्वारा अन्य सभी संचालित स्कुलो, कालेजो, घीकत्सालयो, धर्मशालाओ, सावर्जनिक उपयोग व अन्य सभी भवन निर्माण के आवंटित की गई है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि खेतडी विकास समिति द्वारा संचालित सभी स्कुलो/कालेजो/बी.एड.कोलेज/फार्मशी कालेज व अन्य भवनों के निर्माणार्थ के काम में लिये जाने सुनिश्चित बताया गया है।

यह प्रमाण पत्र आज दिनांक 30-7-2005 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस कार्यालय की मोहर सहित जारी किया गया।

30/7/05
तहसीलदार, खेतडी

राजस्थान सरकार
राजस्व [गु-3] विभाग

क्रमांक प06 [145] राज/3/86

जयपुर, दिनांक 26.9.86

जिला कलेक्टर,
जयपुर ।

विषय :- विनोदनी महाविद्यालय खेतड़ी के
लिए भूमि का आवंटन ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रं. राज/86/2409 दिनांक 16-7-86
एवं क्रं. 2567/राजस्व/86 दि. 2-3-86

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में आपकी प्रस्तावानुसार कच्चा खेतड़ी के निम्नलिखित 8 छातरा नम्बरान, 38 बीघा 12 बिस्वा राजकीय भूमि को विनोदनी महाविद्यालय, खेतड़ी के भवन निर्माणार्थ, खेतड़ी विकास समिति, खेतड़ी को राजस्थान भू-राजस्व [स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धार्मिक आवाजों तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ क्वाड्रिवाचित्त राजकीय कृषि भूमि का आवंटन [नियम 1963 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित किये जाने की राज्य सरकार की स्वीकृति पत्र द्वारा प्रदान की जाती है । भूमि आवंटन संबंधी अग्रिम कार्यवाही आप अपने स्तर पर करें :-

क्र.सं.	छातरा नं.	रकबा बीघा	बिस्वा	भूमि वर्गीकरण
1-	563	0	13	गै.मु. नाला
2-	564	4	13	गै.मु. फलाड
3-	578/1	15	03	"
4-	582/2	13	00	"
5-	583	0	02	खेतड़ी
6-	584	1	05	गै.मु. नाला
7-	585	1	12	खेतड़ी
8-	586	2	04	गै.मु. फलाड
कुल क्वाड्र-8		39	12	

भाषदीय,

[चार-पक्ष-विस्तार]
उप-सहायक सचिव

आदेश

लोतडी विकास समिति, लोतडी में विनोदनी महा विधासय, लोतडी के सिधे लोतडी में भूमि आर्षटन की मांग की गयी।

उप विधासय, लोतडी में निम्नलिखित 8 लक्षरा नम्बरान की 38 बीघा 12 बिस्वा भूमि विनोदनी महा विधासय, लोतडी के भाग विभाषित की लोतडी विकास समिति, लोतडी को आर्षटन करने की सिफारिश की।

राज्य सरकार में अपने पत्र क्रमांक प 6/145/राज-3/06 दिनांक 26/9/86 के द्वारा आर्षटन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

राजस्थान भू-राजस्व सूसी/कालेजो/चिक्कितासयो/भाग शासा जो तथा वाणिज्यिक उपयोग के अन्य भाग विभाषित अनाधिसायित राजकीय कृषि भूमि को आर्षटन नियम 1963 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गाजादीन शर्मा, जिला वसेक्टर, जून्सी निम्नलिखित 8 लक्षरा नम्बरान की 38 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित गांग लोतडी राजकीय भूमि को सारीप किया जाकर गैर सुगकीन आवादी स्थापित करता हूँ व विनोदनी महा विधासय लोतडी के भाग विभाषित, लोतडी विकास समिति, लोतडी को आर्षटित की जाती है। उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत हीष डीड में बणित शर्तों पर आर्षटित की जाती है। अतः इस भूमि का छन्द्राप राजस्व रेकाड में नियमागुणार किया जाये:-

क्र०सं०	लक्षरा नं०	रकबा		भूमि वर्गीकरण
		बीघा	बिस्वा	
1	2	3	4	5
1-	563	0	13	गो सु० नासा
2-	564	4	13	गो सु० पराठ
3-	578/1	15	03
4-	502/2	13	00
5-	503	0	02	वेपड
6-	504	1	05	गो सु० नासा
7-	505	1	12	वेपड
8-	586	2	04	गोसु० जोरड

कुल जिला 8 38 12

आर्षटित भूमि विनोदनी महा विधासय के भाग विभाषित के अलावा अन्य किसी प्रयोग में नहीं ली जायेगी। यदि अन्य किसी प्रयोग में ली गई तो यह आर्षटन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। यदि भविष्य में इस भूमि की आवश्यकता विधासय को नहीं रहेगी तो यह भूमि राजस्व विभाग की रहेगी। सारणीसंदार आर्षटित भूमि का कब्जा विकास समिति, लोतडी को रहे।